कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बैतूल

क्रमांक / डी.एम.एफ. / खनिज / 2020 / 230 बैतूल दिनांक 04/ 02 / 2020

(निविदा)

जिला खनिज प्रतिष्ठान नियम, 2016 के नियम 17 अनुसार जिला खनिज प्रतिष्ठान जिला बैतूल के लेखे का वर्ष 2015–16, वर्ष 2016–17, वर्ष 2017–18 एवं वर्ष 2018–19 का आडिट (अंकक्षेण) चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट से कराया जाना है।

अतः उक्तानुसार आडिट कराये जाने हेतु वर्षवार आडिट (अंकेक्षण) शुल्क सहित निविदा सीलबन्द लिफाफे में दिनांक 26 / 02 / 2020 समय सांयकाल 03.00 बजे तक कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैतूल में आमंत्रित की जाती है। निविदा की शर्त निम्नानुसार रहेगीः–

1– वार्षिक लेन–देन पत्रक वर्षवाईज तैयार करना।

2– योजनावाईज वर्गीकरण सहित वर्षवाईज आय–व्यय पत्रक एवं वित्तीय स्थिति की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।

3– वार्षिक बेलेन्स शीट (लेनदेन पत्रक) तैयार करना (ट्रायल बेलेन्स)।

4– अंकेक्षण रिपोर्ट की 5–5 प्रतियॉ तैयार कर देना होगी।

5– बैंक समाधान विवरण पत्रक तैयार करना अनिवार्य है।

6– निविदा / स्वीकृत / अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा। किसी भी प्रकरण की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।

7– आवेदन पत्र दिनांक 26 / 02 / 2020 समय 12.00 बजे दोपहर तक कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) बैतूल में आवेदन शुल्क राशि रूपये 200 / – जमा कर प्राप्त किये जा सकते है।

8– आवेदन पत्र के साथ राशि रूपये 1000 / – का बैंकर्स चेक / एफ.डी.आर. सुरक्षा निधि के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा।

9– निविदा को वेबसाईट WWW.betul.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

04/02/2020
जिला खनि अधिकारी,
बैतूल

जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि एवं जिला खनिज प्रतिष्ठान की प्रशासनिक निधि का लेख मेन्युअल के आध्याय 8, बिन्दु कमांक 8.2 अनुसार अंकेक्षण का क्षेत्र

1. अंकेक्षण लेखापरीक्षा से संबंधित राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप किया जाएगा। अंकेक्षण में इस प्रकार के परीक्षण और नियत्रंण सम्मिलित होंगे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट अंकेक्षण के दौरान आवश्यक समझते हों।
2. अंकेक्षण में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जिला खनिज प्रतिष्ठान द्वारा राज्य शासन द्वारा बनाये गए नियमों एवं इस मैनुअल में दिए गए प्रावधानों का पालन किया गया है।
3. जिला खनिज प्रतिष्ठान द्वारा निधियों का उपयोग राज्य शासन/न्यास मण्डल द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसरण मं किया गया है।
4. निधि का उपयोग उन्ही कार्यो के लिए किया गया है जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए गए है।
5. लेखा अभिलेख इस मैनुअल में दिए अनुसार संधारित किए गए है ?
6. मुख्य खनिज पट्टों के पट्टेदारों से रायल्टी की राशि पर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशत से राशि प्राप्त कर लेखांकित की गई है ?
7. यदि पट्टेदार प्रतिष्ठान को निश्चित समय पर मूल राशि जमा करने में असफल रहता है तो विलंब की अवधि के लिए पट्टे की शर्तो के अनुसार ब्याज की वसूली की गई है एवं ब्याज की गणना पट्टे की शर्तो के अनुसार की गई है ?
8. मूल एवं ब्याज की पूर्ण राशि प्राप्त की गई है ?
9. बैलेन्स शीट के लेखों पर नोट्स में मुख्य खनिज पट्टेदारों से प्रोद्भूत (Accrued) ब्याज की राशि एवं मुख्य खनिज पट्टेदारों से प्राप्ति योग्य बकाया प्रतिष्ठान निधि की राशि की गणना पट्टे की शर्तो के अनुसार की गई है ?
10. प्रतिष्ठान द्वारा प्रशासनिक निधि का उपयोग निर्धारित उद्धेश्यों के लिए तथा कुशलता एवं मितव्ययता से किया गया है ?
11. जिला खनिज प्रतिष्ठान निधि से जिला खनिज प्रतिष्ठान की प्रशासनिक निधि में आवश्यकता से अधिक राशि हस्तांतरित नहीं की गई है ?
12. लेखों का संधारण The Indian Trusts Act, 1882 के प्रावधानों की पूर्ति करता है ?